राजकीय विभागों से अधिशेष घोषित कार्मिकों के जांच संबंधी बिन्दु (चैक लिस्ट)

विभागाध्यक्ष/नियुक्तिकर्ता द्वारा कर्मचारी को अधिशेष घोषित करते समय ध्यान रखने योग्य बिन्दु :-

1. क्या यह सुनिश्चित करा लिया गया है कि कार्मिक को अधिशेष करने के पूर्व सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक 1(14)साप्र/3/78 दि0 20-5-78 सहपठनीय परिपत्र दि01-6-88 में वर्णित समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करा ली गई है।

(क) क्या कार्मिक को पद समाप्ति अथवा प्रशासनिक कारणों यथा पूर्ण विभाग की समाप्ति, आर्थिक कटौती आदि जिसके कारण राज्य सरकार ने कर्मचारी की सेवा समाप्त नहीं किया जाकर सरप्लस करने का निर्णय लिया गया है।

(ख) क्या अधिशेष किये जाने वाला कार्मिक के विरूद्ध कोई न्यायिक विवाद, पुलिस कार्यवाही, विभागीय जांच निलम्बन आदि तो लम्बित नहीं है ऐसे कर्मचारियों को इस विभाग के आदेश सं.प.1(14)साप्र/3/78 दिनांक 1-6-88 (प्रति संलग्न है) के अनुसार अधिशेष स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

(ग) जिस पद से कार्मिक को अधिशेष किया जा रहा है क्या उस पद पर कर्मचारी की नियुक्ति/पदोन्नति संबंधित सेवा नियमों के अनुसार नियमित है।

(घ) क्या अधिशेष करने से पूर्व कार्मिक को एक माह का नोटिस दे दिया गया है।

(ङ) कार्मिक जिस पद से अधिशेष किया जा रहा है क्या उस संवर्ग में कनिष्ठतम है।

(च) क्या कार्मिक को अन्य विभाग से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति दी गई थी उस स्थिति में कार्मिक को उसके पैतृक विभाग में लौटाये जाने का क्या प्रयास किया गया है या कर्मचारी को विभाग में स्थाई कर दिया गया है।

(छ) क्या कार्मिक को विभाग में रिक्त समान वेतन श्रृंखला के समतुल्य/समानित रिक्त पदों पर समायोजन नहीं किया जा सकता।

2. क्या अस्थाई कर्मचारी के संबंध में यह सुनिश्चित करा लिया गया है कि उसकी सेवा उस वर्ष में जिस वर्ष कर्मचारी को अधिशेष किया गया की 1 जनवरी को एक वर्ष पूर्ण हो चुकी है अर्थात कर्मचारी की नियुक्ति उस वर्ष जिस वर्ष में कर्मचारी अधिशेष किया जा रहा है का पूर्ववर्ती कलेण्डर वर्ष की 1 जनवरी या उससे पूर्व की है।

3. यदि अस्थाई कर्मचारी की सेवायें अधिशेष करने की तिथि (अर्थात 1 जनवरी) को एक वर्ष पूर्ण नहीं हुई हो उस स्थिति में निम्न श्रेणी के कर्मचारियों को सेवा से पृथक नहीं किया जाकर अधिशेष घोषित किया जायेगा :-

(क) कार्मिक राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्त है।

(ख) अनुसूचित जाति/जन जाति वर्ग के कर्मचारी।

(ग) भूतपूर्व सैनिक।

(घ) विकलांग कोटे के अन्तर्गत सेवा नियमों के अनुसार नियुक्त कर्मचारी।

(ङ) राजस्थान राज्य कर्मचारी आश्रित नियम, 1975 के अन्तर्गत नियुक्त कर्मचारी।

4. उपरोक्त बिन्दुओं के जांच के पश्चात विभागाध्यक्ष/नियुक्ति अधिकारी कार्मिक को सरप्लस करने हेतु विशिष्ट शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को एवं अन्य जिलों के लिये (जयपुर जिले को छोड़कर) मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिये जैसी भी स्थिति हो निम्न सूचनाएं भिजवायेंगे :-

(क) अधिशेष करने के एक माह पूर्व सदस्य सचिव, अन्तर्लयन समिति एवं विशिष्ट शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/जिला कलेक्टर को सूचना दे दी गई है।

(ख) निर्धारित प्रपत्र में सूचना एवं अधिशेष करने का आदेश।

(ग) कर्मचारी के सेवा विवरण (तीन प्रतियों में) पारस्परिक वरीयता सूची तथा सम्पूर्ण विभाग की संवर्गवार वरीयतासूची जिस संवर्ग से कर्मचारी अधिशेष किया जा रहा है।